(26) (15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1180-चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 20/08/2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 336/निगरानी/2005-06.

रामनाथ तनय गंगा लौहार साकिन
ग्राम गडवानी, तहसील चितरंगी, जिला सीधी म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

1. श्रीमती ललती पत्नी स्व0 रामरूचि वैश्य
   निवासी ग्राम गडवानी, तहसील चितरंगी जिला सीधी म0प्र0
2. शासन म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 20/08/2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 31-01-83 को विवादित आराजी का व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता ने अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील पत्र के साथ संहिता की धारा 48 व म्याद अधिनियम की धारा 5

के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 22-2-06 द्वारा आदेश पातिर किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 336/निग0/2005-06 दर्ज कर दिनांक 20-08-2008 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रं 1 ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके साथ संहिता की धारा 48 एवं म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर ने यह पाते हुये कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया था और उसके द्वारा विलम्ब के संबंध में समाधानकारक पाया और अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की। चूंकि अभिलेख प्राप्त हो चुका था ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 48 के आवेदन भी मंजूर कर लिया क्योंकि आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करने में अनावेदक को समय लगता। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी उचित पाते हुये स्थिर रखा है। अपर कलेक्टर के समक्ष प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण होना शेष है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-08-2008 स्थिर रखा जाता है।

04/02/2019.

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर